FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0057 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 09/04/2024 15:42 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 05/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 05/02/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:45 बजे **Time To (समय तक):** 17:35 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/04/2024 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 09/04/2024 15:42:51 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 40 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GRAM PANCHYAT BHAWAN, GULABGANJ DISTRICT SIROHI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHARAT KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SANKLA JI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1984 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Village MANDHAR, REVARDAR, SIROHI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Village MANDHAR, REVARDAR, SIROHI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9461797979

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	FAOULAL SUTHAR		पिता:PRBHARAM SUTHAR	1. VILLAGE POST MANAORA,BARLOOT,SIROHI,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,81,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,81,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही। विषय- ग्राम सचिव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदयजी, सादर निवेदन इस प्रकार हैं कि मैं प्रार्थी भरत कुमार पुत्र श्री सांकला जी, जाति रेबारी, निवासी मंडार, पुलिस थाना मंडार, तहसील रेवदर, जिला सिरोही का निवासी हूं। मेरे गांव में मेरा पक्का पुश्तेनी मकान बनाया हुआ हंै जो मेरी माताजी श्रीमति मटूदेवी के नाम से हैं। इस मकान व दो मेरे भाई राणाराम, जोगाराम के नाम से पट्टे बनाने हेतु मैंने ग्राम पंचायत मण्डार में दिनांक 17.04.2023 को तीनों के नाम से पट्टे बनाने के लिये आवेदन किया था, तब ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण जी सुथार ने मेरा आवेदन लेकर मुझे 20 रू. शुल्क की एक प्राप्ति रसीद दी, उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन तब तक दूसरा ग्राम सचिव आ गया, मेरी माताजी मटुदेवी व मेरे दो छोटे भाईयों के नाम से तीन पट्टे लेने हैं, तब मैंने वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी श्री फाउलाल सुथार को हमारे तीनों पट्टे के लिए कहलवाया तो दो दिन पहले वो दिनांक 03.02.2024 को मेरे घर पर मकान का नाप-जोख करने के लिए आया उस समय पर मैं घर नहीं था, शाम को घर गया तो मेरी माताजी ने मुझे कहा कि ग्राम विकास अधिकारी फाउलाल नाप-जोख करने आया था, उसने तीन पट्टे जारी करने की ऐवज में तीन लाख रू. मांगे हैं, किन्तु मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, मेरी माताजी वृद्ध एंव तबीयत सही नहीं होने से मैं रिपोर्ट पेश करने आया हूं। मैं ग्राम विकास अधिकारी फाउलाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं, मेरे व फाउलाल के बीच कोई रंजिश नहीं हैं और न ही कोई रूपये-पैसों की कोई लेन-देन बाकी हैं । अतः मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें। मैं मेरे आधार कार्ड व पंचायत की रसीद दिनंाक 17.04.2023 की स्व-प्रमाणित प्रति पेश कर रहा हूं। दिनांक- 5.2.2024 एसडी भरतकुमार पुत्र श्री सांकला जी रेबारी मोनं- 9461797979 कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि दिनांक 05.02.2024 वक्त 11.45 ए.एम. पर प्रार्थी श्री भरतकुमार रेबारी पुत्र श्री सांकला जी, जाति रेबारी (देवासी), उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम मण्डार, तहसील रेवदर, जिला सिरोही, मोबाईल नंबर 9461797979 ने ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस के समक्ष के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड एंव श्रीमति मटूदेवी पत्नि श्री सांकला जी, श्री राणाराम पुत्र श्री सांकला जी व श्री जोगाराम पुत्र श्री सांकला जी, जातियान रेबारी, निवासीगण मण्डार की 20-20 रू. की ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा आवेदन की रसीदों के इस आशय की प्रस्तुत की कि मेरे गांव में मेरा पक्का पुश्तेनी मकान बनाया हुआ हंै, जो मेरी माताजी श्रीमति मटूदेवी के नाम से हैं। इस मकान के अलावा मेरे दो भाईयों श्री राणाराम व श्री जोगाराम के नाम से कुल तीन पट्टे बनाने हेतु मैंने ग्राम पंचायत मण्डार में दिनांक 17.04.2023 को आवेदन किया था, तब ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण सुथार ने मेरा आवेदन लेकर मुझे 20-20 रू. शुल्क की प्रत्येक आवेदन की एक-एक सहित कुल तीन प्राप्ति रसीदें दी थी, उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन तब तक दूसरा ग्राम सचिव आ गया, मेरी माताजी मटुदेवी व मेरे दोनों छोटे भाईयों के नाम से तीन पट्टे लेने हेतु मैंने वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी श्री फाउलाल को मेरे किसी जानकार से कहलवाया तो दो दिन पहले वो दिनांक 03.02.2024 को मेरे घर पर मकान का नाप-जोख करने के लिए आया, उस समय मैं घर पर नहीं था, शाम को घर गया तो मेरी माताजी ने मुझे कहा कि ग्राम विकास अधिकारी फाउलाल नाप-जोख करने आया था, उसने तीन पट्टे जारी करने की ऐवज में तीन लाख रू. मांगे हैं, किन्तु मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, मेरी माताजी वृद्ध एंव तबीयत सही नहीं होने से मैं रिपोर्ट पेश करने आया हूं। मैं ग्राम विकास अधिकारी फाउलाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं, मेरे व फाउलाल के बीच कोई रंजिश नहीं हैं और न ही कोई रूपये-पैसों की कोई लेन-देन बाकी हैं। अतः मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें। मैं मेरे आधार कार्ड व पंचायत की रसीदात दिनाक 17.04.2023 की स्व-प्रमाणित प्रतियां पेश कर रहा हूं। वगैरहा रिपोर्ट के संबध में परिवादी से उसके स्वयं का पट्टा ग्राम पंचायत मण्डार में लम्बित नहीं होकर उसकी माता श्रीमती मटुदेवी एवं भाईयों श्री राणाराम एवं श्री जोगाराम का लम्बित हैं, जबकि ग्राम विकास अधिकारी श्री फाउलाल के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की रिपोर्ट आप पेश रहे है, आपकी माता एवं भाइयों की तरफ से ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही है जिस पर श्री भरत कुमार ने बताया कि मेरी माताजी अशिक्षित एवं वृद्ध होने एवं भाईयों के कामकाज में व्यस्त होने के कारण हमारे घर के परिवारजन द्वारा मुझे उक्त पट्टे बनवाने के लिये कागजी कार्यवाही करने एवं पट्टे बनवाने में दिक्खत आने पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए मौखिक रूप से अधिकृत कर रखा है, जिसमें मेरी माताजी एवं मेरे भाईयों श्री राणाराम एवं जोगाराम की सहमति भी शामिल है। तकरीरन दरियाफ्त पर और बताया कि यह मेरे स्वयं

की हस्तलिखित रिपोर्ट हैं, जिस पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर किये हुए हैं। जिस पर रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों के संबध में पूछताछ की गई तो परिवादी ने समस्त तथ्य सही होना तथा ग्राम विकास अधिकारी से कोई रंजिश एंव लेन-देन बकाया नहीं होना बताया, परिवादी की उपरोक्त रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिभाषा में आने से अग्रिम कानूनी कार्यवाही बाबत् श्री ओमप्रकाश चैाधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो सिरोही, हाल अतिरिक्त प्रभार, ए.सी.बी. ओ.पी. जोधपुर ग्रामीण जो उस रोज ओपी जोधपुर ग्रामीण में थे, लिहाजा मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा जरिये मोबाईल श्रीमान से परिवादी की उक्त रिपोर्ट के संबध में हालात निवेदन किये तो श्रीमान द्वारा परिवादी की रिपोर्ट में हस्ब कायदा अग्रिम विधिक कार्यवाही करने हेतु मन् निरीक्षक पुलिस को निर्देषित किया। जिस पर रिश्वती राशि मांग-सत्यापन कार्यवाही हेतु श्री सुरेशदान कानि. 470 को परिवादी के साथ डिजीटल वॉयस रिकोर्डर देकर मण्डार भेजने का निर्णय लिया जाकर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु श्री सुरेशदान कानि. 470 को कार्यालय कक्ष में तलब कर इनका परिवादी श्री भरतकुमार रेबारी से परस्पर परिचय करवाकर दोनों के मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाॅईस रिकोर्डर निकालकर इसमें एक नया मेमोरी कार्ड डालकर उक्त वॉईस रिकोर्डर परिवादी को सुपुर्द कर चलाने की समझाईस की गई। तत्पश्चात श्री सुरेशदान कानि. को भी वॉयस रिकोर्डर के संचालन बाबत् समझाईश कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु डिजीटल वॉयस रिकोर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री भरतकुमार रेबारी के साथ रवाना मण्डार की तरफ किया गया जो उसी दिन सांय को बाद सत्यापन ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया, स्वीच ऑफ सुदा डिजीटल वॉयस रिकोर्डर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार चोकी हाजा से परिवादी श्री भरतकुमार के साथ रवाना होकर ग्राम मण्डार में स्थित ग्राम पंचायत कार्यालय के पास पंहुचे, जहां परिवादी द्वारा आरोपी श्री फाउलाल ग्राम विकास अधिकारी का पता किया गया तो नहीं मिला, जिस पर परिवादी ने उसे अपने मोबाईल से कॉल कर पूछा तो उसने रेवदर होना बताया, जिस पर परिवादी के साथ रेवदर पंहुचे, वहां भी आरोपित श्री फाउलाल ग्राम विकास अधिकारी नहीं मिला, तब पुनः परिवादी ने कॉल कर पूछा तो एस.ओ. ने ग्राम पंचायत गुलाबगंज में होना बताया, जिस परिवादी के साथ ग्राम पंचायत गुलाबगंज गया, जहां ग्राम पंचायत कुछ ही दूरी पर रूककर डिजीटल वॉयस रिकोर्डर ऑन कर परिवादी को सुपर्द कर एस.ओ. से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करने के लिये ग्राम पंचायत में भेजा, मैं वहीं आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के इन्तजार में व्यस्त हुआ। करीब आधे घण्टे बाद परिवादी ग्राम पंचायत से निकलकर मेरे पास नियत स्थान पर आया, जिनसे डिजीटल वॉयस रिकोर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मेरी सुरक्षित अभिरक्षा में लिया, पूछने पर परिवादी ने बताया ग्राम विकास अधिकारी मेरे पट्टों के संबध में बात हो गई हैं, उसने वार्ता के दौरान मेरे से 181000 रू. रिश्वती में लेना तय कर इसमें से 50,000 रू. का लेन-देन आगामी दो-तीन दिनों में तय किया हैं, आज उसने मेरे से वार्ता के दौरान 5000 रू. लिये जिसमें से गाडी के डीजल हेतु मांगने पर 1000 रू. मुझे वापस दिये हैं। तत्पश्चात परिवादी को साथ लेकर गुलाबगंज से रवाना सुदा हाजिर आये हैं। हाजिर परिवादी द्वारा कानि. श्री सुरेशदान के उक्त तथ्यों की ताईद की गई, जिस पर डिजीटल वॉयस रिकोर्डर ऑन कर रिवर्स कर रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप सुना गया तो कानि. सुरेशकुमार व परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद होकर आरोपित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी को पट्टे जारी करने की ऐवज में 181000 रू. रिश्वती राशि की मांग करने, उसमें से 50000 रू. पहले देने एंव बाकी बाद में देना एंव वक्त सत्यापन 5000 रू. प्राप्त कर 1000 रू. गाडी के डीजल हेतु मांगने पर परिवादी को वापस देना इत्यादि से रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। तकनिकी कारणों से डिजीटल वॉयस रिकोर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग न होकर आई.सी. रिकोर्डर में रिकॉर्डिंग हुई हैं। आरोपी को डिमाण्ड की गई रिश्वती राशि 181000 रू. में से पहले 50,000 रू. दिये जाने हैं, लिहाजा आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 50,000 रू. की व्यवस्था बाबत् परिवादी को कहा जाने पर परिवादी ने कहा कि अभी तो व्यवस्था नहीं हैं, मैं जल्दी ही उक्त राशि की व्यवस्था कर आरोपित का पता लगाकर अवगत करवाऊंगा। जिस पर परिवादी को प्रकरण में गोपनीयता रखने, जल्द से जल्द रिश्वती राशि की व्यवस्था कर हाजिर आने तथा इस दौरान सत्यापनकर्ता कानि. श्री सुरेशदान से सम्पर्क में रहने की हिदायत देकर फॉरिक किया गया। डिजीटल वॉयस रिकोर्डर स्वीच ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। चूंकि परिवादी के अनुसार एंव रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनने से 50,000 रू. रिश्वती राशि का लेन-देन दो-तीन दिन बाद होना हैं, इस दौरान दिनांक 07.02.2024 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्रीमान महानिदेशक महोदय द्वारा ब्यूरो मुख्यालय राजस्थान, जयपुर पर आयोजित अपराध गोष्ठी में भाग लेने हेतु जयपुर जाना हैं, इस दौरान प्रकरण में अब तक हुई कार्यवाही एंव आगामी कार्यवाही के संबध में श्रीमान द्वारा उच्च अफसरान से विचार-विमर्ष कर आगामी कार्यवाही बाबत् निर्देश प्राप्त कर आदेषित किया जाने पर पालना का निर्णय लिया गया। दिनांक 10.02.2024 को श्रीमान एएसपी साहब बाद अपराध गोष्ठी चैकी हाजा पर उपस्थित आए, इस दौरान कानि. श्री सुरेशदान नं. 470 द्वारा निर्देशानुसार परिवादी श्री भरतकुमार रेबारी से रिश्वती राशि की व्यवस्था एंव आरोपित की मालुमात कर अवगत कराने के संबध में जरिये मोबाईल वार्ता कर बताया कि परिवादी ने अभी तक रिश्वती राशि की व्यवस्था नहीं होने एंव जल्दी ही व्यवस्था कर एस.ओ. के बारे में मालुमात कर

अवगत करवाऊंगा, जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत करवाई गई। दिनांक 11.02.2024 को श्री सुरेशदान कानि. 470 ने निर्देशानुसार परिवादी से जरिये मोबाईल वार्ता कर बताया कि अभी कुछ देर पहले परिवादी से मोबाईल पर वार्ता कर उसे रिश्वती राशि की व्यवस्था के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं आज शाम तक व्यवस्था कर लूंगा। जिस पर परिवादी को प्रकरण में गोपनीयता रखते हुए जल्द से जल्द रिश्वती राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत की गई। तत्पश्चात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उच्च अफसरान से विचार-विमर्ष पश्चात प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध ट्रेप आयोजित करने हेतु निर्देषित किया, जिस पर श्री सुरेशदान कानि. 470 को रिश्वती राशि सहित परिवादी की तलबी एंव एस.ओ. की उपस्थिति के बारे में सूचना संकलित करने हेतु मुनासिब हिदायत देकर रवाना रेवदर-मण्डार की तरफ भेजा गया जिसने उसी सांय वापस आकर बताया कि परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो उसने रेवदर होना बताया, जिस पर रेवदर पंहुच उससे सम्पर्क कर रिश्वती राशि की व्यवस्था एंव एस.ओ. की उपस्थिति के संबध में मालुमात की तो परिवादी ने बताया कि एस.ओ. के बारे में मेरे स्त्रोतों से पता करवाया तो उसका आगामी दो-तीन दिनों के लिये अवकाश पर जाना ज्ञात हुआ हैं, जिस पर रिश्वती राशि की व्यवस्था के बारे में वार्ता करने पर परिवादी ने बताया कि वो दिनांक 13.02.2024 को रिश्वती राशि सहित एसीबी कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा, तब तक एस.ओ. भी आ जायेगा । जिस पर उक्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। कानि. सुरेशदान को परिवादी के सम्पर्क में रहने की हिदायत की गई। तत्पश्चात मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस को ब्यूरो मुख्यालय के आदेश क्रमांक-भ्रनिब्यूरो/संस्थापन/अनु.11/2024/ 420 दिनांक 09.02.2024 के अनुसरण में मुख्यालय स्थित काफ्रेन्स हॉल में दिनांक 12.02.2024 वक्त 10.00 ए.एम. से दिनांक 13.02.2024 वक्त 5ः30 पी.एम. तक ब्यूरो के कार्य एंव कार्यप्रणाली/गतिविधियों को समझने हेतु आयोजित दो दिवसीय प्रषिक्षण में सम्मलित होना था, लिहाजा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली मय डिजीटल वॉयस रिकोर्डर के श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर कार्यवाही संबधित समस्त हालात मौखिक अवगत कराये गये। मन् निरीक्षक पुलिस बाद प्रषिक्षण दिनांक 14.02.2024 को वापस आया एंव निर्देशानुसारवक्त 9.00 ए.एम. पर पत्रावली मय डिजिटल वॉयस रिकोर्डर श्री पदमपालसिंह से वापस प्राप्त किये, जिनका अवलोकन करने पर पाया कि दिनांक 12.02.2024 को श्री सुरेशदान कानि. 470 ने निरीक्षक पुलिस को बताया कि अभी कुछ देर पहले निर्देशानुसारपरिवादी श्री भरतकुमार रेबारी को मोबाईल कॉल कर वार्ता की तो उसने बताया कि एस.ओ. श्री फाउलाल ग्राम विकास अधिकारी आज दिन में मण्डार आया था, तहसील एंव पंचायत का अपना काम निपटाने के बाद वापस चला गया, इस बारे में मुझे बाद में पता चला, इसलिये समय से नहीं बता पाया था। दिनांक 13.02.2024 को रिश्वती राशि लेकर मैं हाजिर हो जाउंगा, जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत करवाई गई। तत्पश्चात प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान तलबी बाबत् आयुक्त, नगर परिशद सिरोही के नाम तहरीर मुर्तिब कर श्री सुरेशदान कानि. 470 को गवाहान मनोनीत करवाकर उन्हें तलबी पर अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द करवाने के लिए रवाना नगर परिशद सिरोही को भेजा गया जिसने आयुक्त, नगर परिशद सिरोही के माध्यम से श्री अशोककुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मो.नं. 9460625387 व श्री सुशीलकुमार पुरोहित राजस्व निरीक्षक मो.नं. 8058030218 को स्वतन्त्र गवाहान के रूप में मामुर करवाकर दोनों गवाहान को तलबी पर अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने बाबत् पाबन्द किया गया। इसी प्रकार दिनांक 13.02.2024 को श्री सुरेशदान कानि. 470 ने निरीक्षक पुलिस को बताया कि अभी कुछ देर पहले निर्देशानुसारपरिवादी श्री भरतकुमार रेबारी को मोबाईल कॉल कर उसे रिश्वती राशि सहित ब्यूरो कार्यालय पर तलब किया तो उसने बताया कि आज मेरे कोई गुजराती पार्टी आयेगी और तहसील में रजिस्ट्री का काम हैं, इसलिए नहीं आ पाउंगा, कल एसीबी कार्यालय पंहुच जाउंगा, मैंने पता करवाया हैं वैसे एक-दो दिन एस.ओ. भी यहां नहीं हैं। अतः परिवादी की उपस्थिति पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 14.02.2024 को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पत्रावली पुनः प्राप्त करने के बाद चूंकि परिवादी श्री भरतकुमार रेबारी का ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आना प्रस्तावित था, लिहाजा अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने श्री सुरेशदान कानि. 470 के माध्यम से मनोनीत/पाबन्द सुदा गवाहान की ब्यूरो कार्यालय पर तलबी करवाई गई। जिस पर कुछ देर बाद परिवादी श्री भरतकुमार रेबारी एंव पाबन्द सुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री अशोककुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री सुशीलकुमार पुरोहित राजस्व निरीक्षक ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये, परिवादी ने बताया कि पता करने पर जानकारी में आया हैं कि आरोपित श्री फाउलाल ग्राम विकास अधिकारी एंव सरपंच के विरूद्ध गोचर भूमि के पट्टे/आंवटन के संबध में पुलिस थाना मण्डार में कोई मुकदमा दर्ज हो गया हैं, एंव एस.ओ. की पट्टा संबधित अन्य शिकायतें भी हुई हैं, इसलिए वो काफी सतर्क एंव सावधान हो गया हैं इसलिए अगले रविवार तक उसके मण्डार आने की संभावना नहीं हैं। इसलिए सोमवार दिनांक 19.02.2024 को रिश्वती राशि लेकर मैं पुनः ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हो जाउंगा। मैंने रिश्वती राशि की व्यवस्था कर ली हैं, एस.ओ. के मण्डार में नहीं होने के कारण कार्यवाही की संभावना नहीं होने से राशि घर पर रखकर आया हूं। जिस पर रिष्वत राशि मांग सत्यापन की फर्द ट्रांसक्रिप्ट एंव पेन ड्राईव तैयार करने का निर्णय लिया जाकर हाजिर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को कार्यालय कक्ष में तलब कर बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर परिचय प्राप्त किया गया तो दोनों ने अपना-अपना परिचय क्रमषः श्री अशोककुमार पुत्र श्री गलबाराम, जाति माली, उम्र 46 वर्ष, पैशा

सरकारी नौकरी, निवासी कृष्णापुरी सिरोही, हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, नगर परिषद सिरोही व श्री सुशील कुमार पुरोहित पुत्र श्री प्रतापचन्द, जाति पुरोहित, उम्र 33 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम नितोड़ा, पुलिस थाना सरूपगंज, जिला सिरोही, हाल राजस्व निरीक्षक, नगर परिषद सिरोही के रूप में दिया। बाद हाजिर परिवादी श्री भरतकुमार रेबारी से उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान का परस्पर परिचय करवाया गया। दिनांक 05.02.2024 को परिवादी द्वारा मन् नि.पु. को प्रस्तुतशुदा प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया एंव पढाया गया। रिश्वती राशि मांग-सत्यापन वार्ता के सत्यापन से संबधित महत्वपूर्ण अंश (वक्त 12ः00 से 19ः00 मिनट तक) डिजीटल वाॅईस रिकोर्डर चालू कर रिवर्स/फोरवर्ड कर दोनों गवाहान को सुनाये गये। दोनों गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पूछताछ कर तसल्ली कर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर कर कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की। जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ करते हुए परिवादी श्री भरतकुमार रेबारी एवं आरोपी श्री फाउलाल ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दिनांक दिनांक 05.02.2024 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकॉर्ड थी, को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री भरतकुमार रेबारी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि मंाग सत्यापन वार्तालाप श्री हैडकानि. सोहनराम नं. 33 की सहायता से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय कम्पयुटर के माध्यम से श्री हैडकानि. सोहनराम नं. 33 की सहायता से दो पैन ड्राईव तैयार कर एक पैन ड्राईव को मूल मानते हुये एक सफेद कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरे पेन ड्राईव को डब मानते हुये खुला रखा गया। आरोपी श्री फाउलाल ग्राम विकास अधिकारी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री भरतकुमार रेबारी द्वारा की गई। तकनिकी कारणों से डिजीटल वॉयस रिकोर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग न होकर आई.सी. रिकोर्डर में रिकॉर्डिंग होना पाया गया। तत्पश्चात परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान से संबधित उस रोज की कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से परिवादी श्री भरतकुमार रेबारी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री अशोककुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री सुशीलकुमार पुरोहित राजस्व निरीक्षक, नगर परिषद सिरोही को आईन्दा तलबी पर पुनः उपस्थित आने व प्रकरण में गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर फॉरिक कर रूखसत दी गई व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डिंग डिवाईस एवं मुर्तिबा पैन ड्राईव्ज मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की मेरी निजी अलमारी में सुरक्षित रखे गये। दिनांक 19.02.2024 को श्री सुरेशदान कानि. 470 ने दर्ज करवाया कि निर्देशानुसार मैं परिवादी श्री भरतकुमार रेबारी से जरिये मोबाईल सम्पर्क में हूं। मेरी परिवादी से कल व आज मोबाईल पर बात हुई थी, उस दौरान परिवादी ने बताया कि मेरा अभी तक एस.ओ. से कोई सम्पर्क नहीं हुआ हैं, अब हॉस्पीटल के काम से मुझे करीब सप्ताह भर बाहर जाना हैं, इसलिए मैं आगामी 5-6 दिन सम्पर्क नहीं कर पाऊंगा। मेरे हॉस्पीटल के काम से फॉरिक होकर मैं वापस सम्पर्क करूंगा। दिनांक 25.02.2024 को श्री सुरेशदान कानि. 470 ने दर्ज करवाया कि आज मेरा परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क हुआ हैं, जिसने बताया कि आज एस.ओ. ग्राम पंचायत मण्डार में आया था, तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार कल दिनांक 26.02.2024 को आयोजित ग्राम सभा की सूचना (मुनादी) गांव में करवाई हैं, इसलिए कल एस.ओ. पंचायत की ग्राम सभा में हाजिर रहेगा, किन्तु अभी तक मैंने एस.ओ. से वापस कोई सम्पर्क नहीं किया हैं, क्योंकि एस.ओ. की एक अन्य व्यक्ति से रूपये-पैसों के बारे में हुई बातचीत की कोई रिकॉर्डिंग गांव में वायरल हुई हैं, तथा थाने में भी इनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज हो रखा हैं, इसलिए इन दिनों एस.ओ. बड़ी सावधानी बरत रहा हैं, एंव हर किसी से सामान्य बातचीत भी सतर्कता से करता हैं, इसलिए हो सकता हैं कि एस.ओ. कल ग्राम सभा में जहां आम लोगों की भीड़ भी ज्यादा रहेगी, वो मेरे से रूपये-पैसों की बात करें या नहीं करें एंव लेन-देन भी करें या नहीं करें, इस बारे में मैं पक्के तौर पर आश्वस्त नहीं हूं, इसलिए कल एक बार मैं एस.ओ. से वैसे ही सम्पर्क कर बात करूंगा एंव लेन-देन का दिन तय करूंगा, फिर उस हिसाब से आगे की कार्यवाही करना ठीक रहेगा। जिस पर इस संबध में श्रीमान एएसपी साहब से विचार-विमर्ष कर कल परिवादी को एस.ओ. से सम्पर्क करने हेतु मय डिजीटल वॉयस रिकोर्डर के जाने का निर्णय लिया जाकर श्री सुरेशदान कानि. को इस बाबत् निर्देषित किया गया। दिनांक 26.02.2024 को श्री सुरेशदान कानि. को मय डिजीटल वॉयस रिकोर्डर के मुनासिब हिदायत कर रवाना मण्डार की तरफ भेजा गया जिसने उसी दिन सांय को वापस आकर डिजीटल वॉयस रिकोर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया जिसको मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दुरस्त हालात में कब्जा स्वयं के लिया। पूछने पर कानि. श्री सुरेशदान ने बताया कि निर्देशानुसार मय डिजीटल वॉयस रिकोर्डर के चैकी से रवाना होकर मण्डार पंहुचा, जहां पूर्व वार्तानुसार ग्राम पंचायत के पास नियत स्थान पर परिवादी श्री भरतकुमार रेबारी उपस्थित मिला, जिसने बताया कि एस.ओ. के विरूद्ध पुलिस थाना मंडार में 420 आई.पी.सी. का एक प्रकरण दर्ज हुआ है, पिछले काफी समय से ग्राम मण्डार में एस.ओ. के विरूद्ध कोई रिकॉर्डिंग वार्ता वायरल हो रही हैं, जिससे यह करीब दो हफ्ते बाद मण्डार आया हैं, आज ग्राम सभा में आने पर आम लोगों के हो हल्ला करने एंव पत्रकारों के आकर सवाल जवाब करने पर एस.ओ. ग्राम सभा से कुछ समय बाद ही चला गया, अभी उसके सरपंच के घर पर होने की जानकारी हैं, ग्राम सभा में गांव वालों द्वारा विरोध करने पर सरपंच ने ग्राम सभा में ही सबके सामने विकास अधिकारी, पंचायत समिति रेवदर से मोबाईल पर वार्ता कर एस.ओ. को यहां से हटाने के लिए कह दिया हैं। इसके बाद एस.ओ. न तो किसी से मिल रहा हैं, और न ही किसी का फोन उठा रहा हैं, मैंने भी कई बार कॉल कर ट्राई किया किन्तु सम्पर्क नहीं हो रहा हैं, आज शाम या कल तक एस.ओ. को यहां से हटा देगें,

इसलिए अब वो मेरे से कोई रिष्वत प्राप्त नहीं करेगा। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रकरण हाजा में आगामी लेन-देन कार्यवाही होने की कोई संभावना नहीं होने से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से उक्त सम्पूर्ण हालात निवेदन किये। प्रकरण हाजा मंे अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री फाऊलाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मण्डार, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री भरतकुमार रेबारी की माता श्रीमति मटूदेवी पत्नि श्री सांकलाराम एंव दो भाईयों श्री राणाराम व श्री जोगाराम पिसरान श्री सांकलाराम रेबारी, निवासी मण्डार के ग्राम पंचायत मण्डार की आबादी भूमि में स्थित आवास एंव कब्जा सुदा भूखण्डों के पट्टा विलेख जारी करने की ऐवज में 1,81,000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर वक्त सत्यापन दिनांक 05.02.2024 को 4000 रू. प्राप्त कर शेश राशि में से प्रथम किश्त के रूप में 50,000 रू. एक-दो दिन में लिया जाना तय करना एंव ब्यूरो कार्यवाही की भनक लगने से उक्त तय सुदा रिश्वती राशि प्राप्त नहीं करना पाया जाने से आरोपी श्री फाऊलाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मण्डार, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनयम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म घटित होना प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री फाऊलाल सुथार पुत्र श्री प्रभाराम सुथार, जाति सुथार, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट मनोरा, पुलिस थाना बरलूट, जिला सिरोही, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मण्डार, पं.सं. रेवदर, जिला सिरोही के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय (कुयाराम) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही,.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों सिरोही के माध्यम से श्री कुयाराम, पुलिस निरीक्षक, ने जरिये ई–मेल प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री फाऊलाल सुथार पुत्र श्री प्रभाराम सुथार, निवासी ग्राम पोस्ट मनोरा, पुलिस थाना बरलूट, जिला सिरोही, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मण्डार, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 57/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री चैनप्रकाश, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली–द्वितीय को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचाआम रपट 121 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 272 -75 दिनांक 09.04.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली। 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सिरोही। 3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जोधपुर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** CHEN PRAKASH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**

(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/04/2024 15:46:15

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	16/08/1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)